

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/95/2016-17

11 नवंबर, 2016

श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता
ग्राम एवं पोस्ट टेकुआटार,
पुरानी बाजार थाना ब्लाक,
समकोला तहसील क्षेत्र कसया,
जनपद कुशीनगर पडरौना, उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु महोदय,

उक्त विषय में कृपया अपने दिनांक 10.11.2016 के पत्र का अवलोकन करें जिसके साथ आपने रूपये दस का पो.आ. सं. 36F 717260 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है। इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके दिनांक 19 व 26 दिसंबर, 2012 के पत्र उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित थे व दोनो पत्र दिनांक 7 व 10 जनवरी, 2013 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को ध्यानाकर्षण हेतु अग्रसारित किये गये थे तथा उनकी एक-एक प्रति आपके सूचनार्थ प्रेषित की गयी थी (प्रति संलग्न)।

अतः आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भेजा गया आवेदन पो.आ. सं. 36F 717260 सहित आपको वापस लौटाया जा रहा है तथा आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पूर्व पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से सीधे संपर्क करें।

धन्यवाद,

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

हस्ताक्षर:

15/11/16

सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रीय जनसूचना अपीलिय अधिकारी महोदय,
माननीय अवर सचिव महोदय
अहमदाबाद राज्यपाली अंतर्गत विभाग
अहमदाबाद, गुजरात, भारत



जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम २००५ के तहत प्रेसीडेन्ट, वी.सी.प्रेसीडेन्ट, पी.एम. कार्यालय, गृहमंत्रालय, पंचायतीराज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मुख्य सचिव उ.प्र. शासन से नीचे लिखे इन बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निवेदन हेतु प्रेषित।

नोट : जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम २००५ के तहत इन सभी कार्यालय से कुछ बिन्दुओं पर शीघ्र सूचना प्राप्त करने के लिये दस रुपये का पोस्टल आर्डर संलग्न अवलोकन कर आपके सेवा समक्ष जनहित याचिका अपील दाखिल करने के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

महोदय,

जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम २००५ के तहत सार्वजनिक सामूहिक रूप से क्षेत्र एवं जनता से जुड़े जनहित के अति आवश्यक महत्वपूर्ण समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिये जनहित याचिका अपील आपके सेवा समक्ष प्रस्तुत करने के लिये दाखिल कर रहा हूँ, इस जनहित याचिका अपील पर शीघ्र आवश्यक कदम उठाने के पहले अपील के साथ संलग्न अवलोकन समस्त पत्रों के प्रत्येक बिन्दु पर गम्भीरता पूर्वक बारीकी से ध्यान देकर पूर्ण रूप से अपने संज्ञान में लेकर जनहित में शीघ्र ऐतिहासिक कदम उठाना अति आवश्यक है। क्योंकि इसके पीछे छः साल से लगातार परेशान होकर भटकता रहा हूँ। कोई सुनवाई एवं आदेश हेतु अस्पष्ट कड़ी कार्यवाही न होने के कारण पूरा न्याय की उम्मीद के साथ आपकी शरण में आया हूँ।

1. जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम २००५ के तहत राष्ट्रपति कार्यालय के अन्डर सैकरेट्री चीराभट्ट सरकार द्वारा दिनांक - १०.१२.२०१२, २०.१०.२०१२ को लगातार मुख्य सचिव उ.प्र. को जो निर्देश पत्र भेजा गया है। वह किस प्रकरण पर कार्यवाही के लिये लिखा गया है। प्रार्थी के पत्र में दिये बिन्दु का उक्त पत्र में उल्लेख क्यों नहीं किया गया इसका उल्लेख जांच कार्यवाही सम्बन्धित को दिये निर्देश इसका आख्या क्यों नहीं मांगा गया। पूर्व में आपके द्वारा मुख्य सचिव को भेजे गये इन सभी पत्रों का जवाब जांच कार्यवाही सम्बन्धित आख्या तलब कर हमें अवगत कराया जाय। इस जनहित के प्रकरण पर स्पष्ट निर्देश दिया जाय।
2. जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम २००५ के तहत उपराष्ट्रपति कार्यालय के अवर सचिव महिताब सिंह द्वारा दिनांक - २५.०६.२०१३, २६.१२.२०१२ को लगातार मुख्य सचिव उ.प्र. को जो निर्देश पत्र भेजा गया है। वह किस प्रकरण पर कार्यवाही के लिये लिखा गया है। प्रार्थी के पत्र में दिये बिन्दु का उक्त पत्र में उल्लेख क्यों नहीं किया गया इसका उल्लेख जांच कार्यवाही सम्बन्धित को दिये निर्देश इसका आख्या क्यों नहीं मांगा गया। पूर्व में आपके द्वारा मुख्य सचिव को भेजे गये इन सभी पत्रों का जवाब जांच कार्यवाही सम्बन्धित आख्या तलब कर हमें अवगत कराया जाय। इस जनहित के प्रकरण पर स्पष्ट निर्देश दिया जाय।
3. जनसूचना अधिकार कानून अधिनियम २००५ के तहत पी.एम. कार्यालय साऊथ ब्लॉक सेक्शन ऑफीसर समीर कुमार द्वारा दिनांक - ०४.०३.२०१६ एवं सेक्शन ऑफीसर ब्रह्मू राम द्वारा दिनांक - १५.०५.२०१६ एवं सेक्शन ऑफीसर पवन मालवीय द्वारा दिनांक - २६.०६.२०१३, १४.१२.२०१२ को लगातार मुख्य सचिव उ.प्र. को जो निर्देश पत्र भेजा गया है। वह किस प्रकरण पर कार्यवाही के लिये लिखा गया है। प्रार्थी के पत्र में दिये बिन्दु का उक्त पत्र में उल्लेख क्यों नहीं किया गया इसका उल्लेख जांच कार्यवाही सम्बन्धित को दिये निर्देश

9. जनसुचना अधिकार कानून अधिनियम २००५ के तहत हम प्रार्थी मा. अटल जी, मा. मोदी जी द्वारा अपने पी. एम. कार्यकाल में देश एवं ग्रामीण-गाँव-देहात के विकास के लिये तैयार किये गये ऐजेन्डे को और समाज के हरवर्ग के उत्थान एवं विकास के लिये लागू किये गये सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच उतारने के लिये केन्द्र शासन मण्डल जिला तहशील ब्लाकस्तर के इन सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के बीच जमीन पर उतारने का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर खुलेआम भ्रष्टाचार अपराध बेरोजगारी, भुखमरी, धन उगाही, कमीशन खोरी को बढ़ावा देने के जुर्म में जनता से दूरी बनाकर जो विश्वास खो गया है, उसके पुनः बहाली के लिये ईमानदारी के रास्ते पर चल कर जनता के बीच नजदीकी बढ़ाकर सामजस्य स्थापित कर, जनता का विश्वास हासिल करने व उनसे तालमेल का कार्य चाहता हूँ। इससे प्रत्येक स्तर के सभी विभागीय अधिकारियों और आम जनता को दोनों को फायदा होगा। इससे भ्रष्टाचार अपराध सम्बन्धित सभी बुराइयों पर कुछ प्रतिबंध लग सकता है।

धन्यवाद

समाज सेवक कार्यकर्ता
(लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता)

लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता

भाजपा जिला पंचायत प्रत्याशी,
ग्राम एवं पोस्ट-टेकुआटार, पुरानी बाजार,
ब्लॉक-थाना रामकोला, तहशील-कसया,
जिला-कुशीनगर, उ.प्र.

मो. - 99842 44558

दिनांक : १०/११/२०१६